सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

ज्येष्ठ 22, बुधवार, *शाके* 1946-जून 12, 2024
Jyaistha 22, Wednesday , Saka 1946- June 12, 2024

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

प्रपत्र (ओ)

वन विभाग

विज्ञप्ति

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 18, 2023

संख्या प.2(41) वन/2023 :-चुंकि इसके साथ संलग्न अनुसूची में समाविष्ट वन भूमि तथा बंजर भूमि में अथवा उस पर सरकार के और प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार तथा सीमा की जांच एवं उनका अभिलेखन राजस्थान वन अधिनियम 1953 (1953 का राजस्थान अधिनियम संख्या 13) की धारा 29 की उप धारा (3) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसरण में किया जा चुका है।

अतः अब उपरोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप धारा (1) के द्वारा प्रदत शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार एतद द्वारा घोषित करती है कि कथित अधिनियम के अध्याय 4 के उपबंध पूर्वोक्त वन भूमि और बंजर भूमि पर लागू होंगे जो कि एतदपश्चात रक्षित वन कहलाया जायेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,
मोनाली सेन,
विशेषाधिकारी (वन)।

भूमि का विवरण

जिला	तहसील	वनखण्ड	मौजा	खसरा नं.	क्षैत्रफल			विशेष विवरण
					बीघा	बिस्वा	हैक्टेयर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
बाड़मेर	चोहटन हाल. सेडवा	सिंहानिया सेड़यून	सिंहानिया	388/63	350	00	56.6559	सीमा विवरण परिशिष्ट (अ) संलग्न है
				387/63	50	00	8.0937	
				योग	2	400	00	64.7496
						64.7496 हैक्टेयर		

नेहा चौधरी,
सहायक वन बंदोबस्त अधिकारी,
जोधपुर।

वन विभाग

परिशिष्ट (अ)

राजस्थान वन (बन्दोबस्त) नियम 1958 का नियम 9 (सी)

वनखण्ड - सिंहानिया सेड़यून रेंज - चोहटन जिला - बाड़मेर

इस वनखण्ड की वन सीमा का विवरण निम्नानुसार है।

क्र.सं.	स्तंभ संख्या से	स्तंभ संख्या तक	दुरी		दिशा	आगामी स्तंभ तक सीमा रेखा का प्रकार
			जरीब	कडिया		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	1	2	23	00	पश्चिम से उत्तर पूर्व	सीधी रेखा
2	2	3	8	30	उत्तर से दक्षिण पूर्व	सीधी रेखा
3	3	4	13	70	उत्तर से दक्षिण पूर्व	सीधी रेखा
4	4	5	24	20	उत्तर से दक्षिण पूर्व	सीधी रेखा
5	5	6	14	60	उत्तर से दक्षिण पूर्व	सीधी रेखा
6	6	7	11	40	उत्तर से दक्षिण पूर्व	सीधी रेखा
7	7	8	27	80	पूर्व से उत्तर पश्चिम	सीधी रेखा
8	8	9	34	80	दक्षिण से उत्तर पश्चिम	सीधी रेखा
9	9	10	24	60	दक्षिण से उत्तर पश्चिम	सीधी रेखा

नोट - (1) नाप का अभिप्राय धरातल की सतह से है।

(2) जरीब 66 फीट की है जिसमें 100 कडिया है।

नेहा चौधरी,

सहायक वन बंदोबस्त अधिकारी

जोधपुर।

अधिकार / रियायतो की संक्षिप्त सूची ( ) वनखण्डः - सिंहानिया सेड़यून, रेंजः- चौहटन, तहसीलः- सेडवा, जिलाः-बाडमेर

(सुविधाये राज्य शासन द्वारा कभी भी वापस ली जा सकती है।)

उन वन खण्डो की संख्या या नाम जिनके खुले भाग में ये अधिकार/ सुविधाये उपयोग में आ सकते है।	पट्टी की नाम	ग्राम जिले अधिकार/ सुविधाये प्राप्त है	घरों की संख्या जन संख्या	जनसंख्या	परिवार की संख्या	हलों की संख्या	निःशुल्क चरने वाले स्वीकृत पशुओं की संख्या	मकनों के लिये तकड़ी के तट्टे प्रति वर्ष फुटों में		कृषि उपकरणों के लिये लकड़ी (प्रति वर्ष) क्यूबिक फुट लट्ठो में	गिरी लकड़ी का ईंधन (प्रति वर्ष) सिरभारों में	लुहारों के लिये कोयला (प्रतिवर्ष) सिरभारों में	सुविधाए/अधिकारों का विवरण																		विशेष विवरण
								निवासगृह	पशुशालायें (विविध लकडियाँ)				विविध आवेदन	चारे का घास	चारे का भारा विक्रय के लिये	घास छपपरों के लिये	बाबर	पत्ते सखे	फल और जडें	लताओं और बेलों की छालें	बासं (प्रति वर्ष कोडियां) में	भवन के लिये पत्थर	स्लेट	चना पत्थर	सिंचाई जल-पथ	मीलों के लियें पानी	मछलियों पकडना	श्मशान घाट	
1	2	3	3 ए	3 बी	3 सी	3 डी	4	5 ए	5 बी	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
वनखण्डः - सिंहानिया सेड़यून, रेंजः- चौहटन, तहसीलः- सेडवा, जिलाः- बाडमेर	-	ग्राम सिंहानिया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ग्रामीणों के द्वारा कोई रियायत नही चाही गयी। फिर भी लोकहीत में ग्रामीणों को पुर्वानुसार वन भूमि में पशु/मवेशी चराने की अनुमति जारी रहेगी। अन्य सुविधा वन अधिनियम की शर्तो के अनुसार जारी रहेगी।

नेहा चौधरी,

सहायक वन बंदोबस्त अधिकारी जोधपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।